

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/2023

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 20.05.25

अप्रार्थीगण

1 केसाराम पुत्र राउराम 2  
नगराम 3 फूसाराम पिसरान  
राजूराम जाति जाट निवासी  
कगाउ व मुसलमानो की ढाणी  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 गोरधनराम पुत्र देदाराम वगैराह  
जाति मेगवाल निवासी मेगवालो की  
ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 11/2025

दिनांक- 13/05/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कगाउ पटवार क्षेत्र कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 391/95 रकबा 2.9623 हेक्टर, खसरा संख्या 560/95 रकबा 1.4083 हेक्टर, खसरा संख्या 94 रकबा 0.1052 हेक्टर भूमि, खसरा संख्या 393/95 रकबा 1.1736 हेक्टर व खसरा संख्या 559/95 रकबा 3.3022 हेक्टर व मौजा मेगवालो की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 388/256 रकबा 6.2241 हेक्टर, संख्या 389/256 रकबा हेक्टर 6.2726 व खसरा संख्या 390/256 रकबा 6.2726 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/2024-27

दिनांक-

20.05.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाउ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी केसाराम पुत्र राउराम जाति जाट निवासी कगाउ व मुसलमानो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गोरधनराम पुत्र देदाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी मेगवालो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर